Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 629 /32 व्यग(कनि0सहा0)–अधि0–उ0/18 दिनांक–25/06/2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152/XXX (2)/19/30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न कनिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1–	श्री लक्ष्मण सिंह मेहता	कनिष्ठ सहायक	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 लोहाघाट	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल	नियम 17(1) (ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़/हल्द्वानी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 चम्पावत/नैनीताल।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 लोहाघाट/नैनीताल।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लोहाघाट/नैनीताल।
6. अधिशासी अभियन्ता/आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री लक्ष्मण सिंह मेहता कनिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 लोहाघाट।
8. गार्ड पत्रावली।

25.6.19
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
25/6/19

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 630 /32 व्यग(कनि0सहा0)–अधि0–उ0/18 दिनांक–25/06/2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152/XXX (2)/19/30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न कनिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

कम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1–	श्री राजकुमार	कनिष्ठ सहायक	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 डीडीहाट	रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 हल्द्वानी	नियम 17(1) (ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, रा0मा0/क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, हल्द्वानी/पिथौरागढ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0/तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 हल्द्वानी/पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0/प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 हल्द्वानी/डीडीहाट।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, डीडीहाट/हल्द्वानी।
6. अधिशासी अभियन्ता/आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 डीडीहाट।
8. गार्ड पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 631 /32 व्यग(कनि0सहा0)–अधि0–उ0/18 दिनांक– 25/06/2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152/XXX (2)/19/30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न कनिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1–	श्री शम्भू दत्त जोशी	कनिष्ठ सहायक	रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल	नियम 17(1)(ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0–
(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, रा0मा0/क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0/द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 हल्द्वानी/नैनीताल।
4. अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0/निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत/नैनीताल।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रानीखेत/नैनीताल।
6. अधिशासी अभियन्ता/आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री शम्भू दत्त जोशी कनिष्ठ सहायक, रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत।
8. गार्ड पत्रावली।

25.6.19
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
25/6/19

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 632 / 32 व्यग(कनि0सहा0)–अधि0–उ0 / 18 दिनांक– 25 / 06 / 2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152 / XXX (2) / 19 / 30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न कनिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1–	श्री किशन सिंह	कनिष्ठ सहायक	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट	रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 हल्द्वानी	नियम 17(1) (ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 / क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, हल्द्वानी / पिथौरागढ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0 / तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 हल्द्वानी / पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 / निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 हल्द्वानी / अस्कोट।
5. मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, हल्द्वानी / अस्कोट।
6. अधिशासी अभियन्ता / आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री किशन सिंह, कनिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट।
8. गार्ड पत्रावली।

25-6-19
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 633 /32 व्यग(कनि0सहा0)–अधि0–उ0/18 दिनांक– 25/06/2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152/XXX (2)/19/30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न कनिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1–	श्री राम सिंह भण्डारी	कनिष्ठ सहायक	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 डीडीहाट	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल	नियम 17(1) (ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़/हल्द्वानी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय/तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 नैनीताल/पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 डीडीहाट/नैनीताल।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, डीडीहाट/नैनीताल।
6. अधिशासी अभियन्ता/आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री राम सिंह भण्डारी कनिष्ठ सहायक, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 डीडीहाट।
8. गार्ड पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 634 /32 व्यग(कनि0सहा0)–अधि0–उ0/18 दिनांक–25/06/2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152/XXX (2)/19/30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न कनिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1	श्री बालादत्त बेलवाल	कनिष्ठ सहायक	रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रामनगर	नियम 17(1) (ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/=
(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, रा0मा0/क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0/द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 हल्द्वानी/नैनीताल।
4. अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0/निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत/रामनगर।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रानीखेत/रामनगर।
6. अधिशासी अभियन्ता/आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री बालादत्त बेलवाल, कनिष्ठ सहायक, रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत।
8. गार्ड पत्रावली।

25.6.19
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
25/6/19

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 635 /32 व्यग(कनि0सहा0)–अधि0–उ0/18 दिनांक– 25/06/2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152/XXX (2)/19/30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न कनिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

कम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1–	श्री सुभाष सिंह	कनिष्ठ सहायक	ए0डी0बी0 खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 हल्द्वानी	नियम 17(1) (ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, ए0डी0बी0/क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/हल्द्वानी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0/द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़/हल्द्वानी।
4. अधिशासी अभियन्ता, ए0डी0बी0/निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़/हल्द्वानी।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/हल्द्वानी।
6. अधिशासी अभियन्ता/आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री सुभाष सिंह, कनिष्ठ सहायक, ए0डी0बी0, खण्ड लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।
8. गार्ड पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 636 /32 व्यग(कनि0सहा0)–अधि0–उ0/18 दिनांक–25/06/2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152/XXX (2)/19/30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न कनिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

कम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1–	श्री ठाकुर सिंह धामी	कनिष्ठ सहायक	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट	वि0यां0 खण्ड लो0नि0वि0 भीमताल	नियम 17(1) (ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/=
(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़/हल्द्वानी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय/वि0यां0 वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़/हल्द्वानी।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/पचम वि0यं0 खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट/भीमताल।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अस्कोट/भीमताल।
6. अधिशासी अभियन्ता/आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री ठाकुर सिंह धामी कनिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, अस्कोट।
8. गार्ड पत्रावली।

25.6.19
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
25/6/19

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 637 / 32 व्यग(कनि0सहा0)–अधि0–उ0 / 18 दिनांक– 25 / 06 / 2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152 / XXX (2) / 19 / 30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न कनिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1–	श्री पुष्कर राम	कनिष्ठ सहायक	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 लोहाघाट	रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 हल्द्वानी।	नियम 17(1) (ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/=
(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 / क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, हल्द्वानी / पिथौरागढ़।
3. अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0 / सिविल वृत्त लो0नि0वि0 हल्द्वानी / चम्पावत।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण / रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 लोहाघाट / हल्द्वानी।
5. मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, लोहाघाट / हल्द्वानी।
6. अधिशासी अभियन्ता / आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री पुष्कर राम, कनिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, लोहाघाट।
8. गार्ड पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
25/6/19

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 638 /32 व्यग(कनि0सहा0)–अधि0–उ0/18 दिनांक– 25/06/2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152/XXX (2)/19/30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न कनिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1	श्री आनन्द बल्लभ पन्त	कनिष्ठ सहायक	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 काशीपुर	नियम 17(1) (ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/-
(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, अल्मोडा/हल्द्वानी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/चतुर्थ वृत्त लो0नि0वि0 अल्मोडा/रूद्रपुर
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत/काशीपुर।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रानीखेत/काशीपुर।
6. अधिशासी अभियन्ता/आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री आनन्द बल्लभ पन्त, कनिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, रानीखेत।
8. गार्ड पत्रावली।

25.6.19
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
25/6/19

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 639 /32 व्यग(कनि0सहा0)–अधि0–उ0/18 दिनांक– 25/06/2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152/XXX (2)/19/30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न कनिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती कमला रावत	कनिष्ठ सहायक	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	ए0डी0बी0 खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल	नियम 17(1) (ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/=
(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, ए0डी0बी0/क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/अल्मोड़ा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0/सिविल वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़/बागेश्वर।
4. अधिशासी अभियन्ता, ए0डी0बी0/प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल/बागेश्वर।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
6. अधिशासी अभियन्ता/आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्रीमती कमला रावत, कनिष्ठ सहायक, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 बागेश्वर।
8. गार्ड पत्रावली।

25.6.19
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
25/6/19

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 618 /32 व्यग(वरि0सहा0)–अधि0–उ0/18 दिनांक– 25/06/2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152/XXX (2)/19/30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न वरिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

कम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1–	श्री कैलाश आर्या	वरिष्ठ सहायक	विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा	नियम 17(1) (ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/–
(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक/क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/अल्मोडा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक/प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़/अल्मोडा।
4. अधिशासी अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक/प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर/अल्मोडा।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर/अल्मोडा।
6. अधिशासी अभियन्ता/आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री कैलाश आर्या, वरिष्ठ सहायक, विश्व बैंक खण्ड लो0नि0वि0, बागेश्वर।
8. गार्ड पत्रावली।

25.6.19
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
25/6/19

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 619 /32 व्यग(वरि0सहा0)–अधि0–उ0/18 दिनांक–25/06/2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152/XXX (2)/19/30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न वरिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1–	श्री अजय सिंह चौहान	वरिष्ठ सहायक	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पुरोला	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, देहरादून	नियम 17(1) (ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/टिहरी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 6वॉ/9वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी/देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण /प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला/देहरादून
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता/आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री अजय सिंह चौहान वरिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, पुरोला।
8. गार्ड पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 620 / 32 व्यग(वरि0सहा0)–अधि0–उ0 / 18 दिनांक– 25 / 06 / 2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152 / XXX (2) / 19 / 30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न वरिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1–	श्रीमती दमयन्ती नौटियाल	वरिष्ठ सहायक	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पौड़ी	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 श्रीनगर	नियम 17(1)(ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/–
(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, पौड़ी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 12वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी / श्रीनगर।
5. मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, पौड़ी / श्रीनगर
6. अधिशासी अभियन्ता / आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्रीमती दमयन्ती नौटियाल वरिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, पौड़ी।
8. गार्ड पत्रावली।

25.6.19
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 610 /32 व्यग(प्र0सहा0)–अधि0–उ0 / 18 दिनांक– 25/06/2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152 / XXX (2) / 19 / 30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न प्रधान सहायक का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1–	श्री कुण्डल राम	प्रधान सहायक	वि0 / यां0 खण्ड लो0नि0वि0, पिथौरागढ़	ए0डी0बी0 खण्ड लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	नियम 17(1) (ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/–
(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय / ए0डी0बी0 कार्यालय, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ / देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, पंचम / ए0डी0बी0 वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी / पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, वि0 / यां0 / ए0डी0बी0 खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ / अल्मोड़ा।
5. मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, पिथौरागढ़ / अल्मोड़ा।
6. अधिशासी अभियन्ता / आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री कुण्डल राम, प्रधान सहायक, वि0 / यां0 खण्ड लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।
8. गार्ड पत्रावली।

25.6.19
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
25/6/19

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 611 /32 व्यग(प्र0सहा0)–अधि0–उ0/18 दिनांक–25/06/2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152/XXX (2)/19/30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न प्रधान सहायक का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1–	श्री देवेन्द्र सिंह पंचपाल	प्रधान सहायक	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, डीडीहाट	वि0/यां0 खण्ड लो0नि0वि0, भीमताल	नियम 17(1) (ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़/हल्द्वानी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय/पंचम वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़/हल्द्वानी।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0 डीडीहाट/भीमताल।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, डीडीहाट/भीमताल।
6. अधिशासी अभियन्ता/आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री देवेन्द्र सिंह पंचपाल, प्रधान सहायक, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, डीडीहाट।
8. गार्ड पत्रावली।

25-6-19
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
25/6/19

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 612 / 32 व्यग(प्र0सहा0)–अधि0–उ0 / 18 दिनांक– 25 / 06 / 2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152 / XXX (2) / 19 / 30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न प्रधान सहायक का स्थानान्तरण कार्यहित में उसकें नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1–	श्री महिपाल सिंह दानू	प्रधान सहायक	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बागेश्वर	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, रामनगर	नियम 17(1) (ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/–
(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा / हल्द्वानी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल / द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, बागेश्वर / नैनीताल।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय / निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर / रामनगर।
5. मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, बागेश्वर / रामनगर।
6. अधिशासी अभियन्ता / आई0टी0 हैड, विभागाध्यंक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री महिपाल सिंह दानू, प्रधान सहायक, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बागेश्वर।
8. गार्ड पत्रावली।

25-6-19
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 613 /32 व्यग(प्र0सहा0)–अधि0–उ0/18 दिनांक–25/06/2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152/XXX (2)/19/30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न प्रधान सहायक का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1–	श्री हेम चन्द्र तिवारी	प्रधान सहायक	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, रानीखेत	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, रामनगर	नियम 17(1) (ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/–
(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/नैनीताल।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत/रामनगर।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रानीखेत/रामनगर।
6. अधिशासी अभियन्ता/आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री हेम चन्द्र तिवारी, प्रधान सहायक, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, रानीखेत।
8. गार्ड पत्रावली।

25.6.19
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
25/6/19

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 614 /32 व्यग(प्र0सहा0)–अधि0–उ0/18 दिनांक–21/06/2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152/XXX (2)/19/30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न प्रधान सहायक का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

कम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1–	श्री बलबीर सिंह नेगी	प्रधान सहायक	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, गौचर	निर्माण खण्ड–2 ए0डी0बी0, देहरादून	नियम 17(1) (ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/–
(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/ए0डी0बी0, कार्यालय, लो0नि0वि0, पौडी/देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सातवां/ए0डी0बी0 वृत्त, लो0नि0वि0, गापेश्वर/टिहरी।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/नि0ख0–2 ए0डी0बी0 लो0नि0वि0, गौचर/देहरादून।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गौचर/देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता/आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री बलबीर सिंह नेगी, प्रधान सहायक, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गौचर।
8. गार्ड पत्रावली।

25.6.19
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
25/6/19

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 604 / 32 व्यग(प्र0अ0)–अधि0–उ0 / 18 दिनांक– 25 / 06 / 2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152 / XXX (2) / 19 / 30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न प्रशासनिक अधिकारी का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1–	श्री भोला दत्त जोशी	प्रशासनिक अधिकारी	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0, द्वाराहाट	रा0 मा0 खण्ड लो0नि0वि0, हल्द्वानी	नियम 17(1) (ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/–
(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 / रा0मा0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा / हल्द्वानी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त / रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, ज्योलिकोट / हल्द्वानी।
4. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 / रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, द्वाराहाट / हल्द्वानी।
5. मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, द्वाराहाट / हल्द्वानी।
6. अधिशासी अभियन्ता / आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री भोला दत्त जोशी, प्रशासनिक अधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0, द्वाराहाट।
8. गार्ड पत्रावली।

25.6.19
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 605 / 32 व्यग(प्र0अ0)–अधि0–उ0 / 18 दिनांक– 25 / 06 / 2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152 / XXX (2) / 19 / 30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न प्रशासनिक अधिकारी का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1–	श्री धर्मानन्द पुनेड़ा	प्रशासनिक अधिकारी	नि0ख0 ए0डी0बी0 लो0नि0वि0, पिथौरागढ़	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	नियम 17(1) (ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/–
(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, ए0डी0बी0 / क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून / अल्मोड़ा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0 वृत्त / प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ / अल्मोड़ा।
4. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0ए0डी0बी0 / प्रा0ख0, खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ / अल्मोड़ा।
5. मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, , पिथौरागढ़ / अल्मोड़ा।
6. अधिशासी अभियन्ता / आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री धर्मानन्द पुनेड़ा, प्रशासनिक अधिकारी, नि0ख0 ए0डी0बी0 लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।
8. गार्ड पत्रावली।

25/6/19
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
25/6/19

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 601 /32 व्यग(मु0प्र0अ0)–अधि0–उ0/18 दिनांक– 25/06/2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152/XXX (2)/19/30(13) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्न मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1–	श्री शिवराज सिंह खत्री	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, लक्सर	नियम 17(1) (ग) में निहित प्राविधान के अनुसार

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/–
(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, पौड़ी/देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 7/सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, गोपेश्वर/हरिद्वार।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग/लक्सर।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कर्णप्रयाग/लक्सर।
6. अधिशासी अभियन्ता/आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री शिवराज सिंह खत्री, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग।
8. गार्ड पत्रावली।

25.6.19
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
25/6/19